

नौवीं अनुसूची
[धारा 142(1) देखिए]

क्रम सं०	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
5	(1)	(2)	(3)
5	1. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 (32/99-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999)	उक्त अधिसूचना में,— (?) प्रारंभिक पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— “परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,— (क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1986 (1985 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 24 या दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल; और (ख) उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के उपशीर्ष सं० 2106.00 या 2404.49 के अंतर्गत आने वाला तंबाकू युक्त पान मसाला ;”;	8 जुलाई, 1999
10		(??) खंड (?) द्वारा यथा अंतःस्थापित परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:— “परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले माल को लागू नहीं होगी । ”;	1 मार्च, 2001
15		(???) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “परंतु यह और कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट,— (1) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ; या (2) बोंगई गांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ; या (3) इंडियन आयल कारपोरेशन, गुवाहाटी ; या (4) असम तेल प्रभाग, इंडियन आयल कारपोरेशन, डिगबोई, से विनिर्मित और निकासी किए गए माल को लागू नहीं होगी ।” ।	12 फरवरी, 2002
20			
25	2. सा.का.नि.509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 (33/99-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999)	उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैरा में:— (?) निम्नलिखित परंतुक अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— “परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,— (क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 24 या दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल ; और (ख) उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के उपशीर्ष सं० 2106.00 या 2404.49 के अंतर्गत आने वाला तंबाकू युक्त पान मसाला ; ”;	8 जुलाई, 1999
30		(??) खंड (?) द्वारा यथा अंतःस्थापित परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:— “परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट अध्याय 24 के अंतर्गत आने-वाले माल को लागू नहीं होगी । ”।	1 मार्च, 2001
35			